Electricity Distribution Circle-II Clock Tower, Saharanpur

S.T.E-Tender No. 184/W/EDC-II/SRE/2023-24

अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल–द्वितीय, सहारनपुर हेतु 01 नं0 हल्का वाहन (कार) डीजल चलित (ड्राईवर सहित) 06 माह 8 दिन अवधि (23.09.2024 से 31.03.2025 तक) हेतु किराये पर उपलब्ध कराने का कार्य।

Office of the
Superintending Engineer
Electricity Distribution Circle-II
Clock Tower, Saharanpur-247001 (U.P)

Date of Opening :23-09-2024

Tender Cost Rs:-1180/- Including GST

OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER
ELECTRICITY. DISTRIBUTION CIRCLE –II
Clock Tower, Saharanpur-247001 (U.P)

S.T.E-TENDER SPECIFICATION NO. : 184/W/ EDC-II / SRE / 2023-24

WORK DESCRIPTION : अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल–द्वितीय, सहारनपुर हेतु 01 नं0 हल्का वाहन (कार) डीजल चलित (ड्राईवर सहित) 06 माह 8 दिन अवधि (23.09.2024 से 31.03.2025 तक) हेतु किराये पर उपलब्ध कराने का कार्य।

DUE DATE FOR OPENING : 23-09-2024

COST OF TENDER : Rs. 1180.00 (Including GST)

EARNEST MONEY : Rs. 1570.00

ACCONT NO : 3668938333

IFSC CODE : **CBIN0281443**

TENDER ISSUED BY THE:

SUPERINTENDING ENGINEER,
ELECTRICITY. DISTRIBUTION CIRCLE-II
Clock Tower, Saharanpur-247001 (U.P)

PROFORMA FOR SUBMITTING EARNEST MONEY

E-Tender for ---

Against E-Tender specification No.---

From :

……………………………..

……………………………..

……………………………..

To,
The Superintending Engineer,
Electricity Distribution Circle-II
Pashchimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd.
Saharanpur (U.P)
Dear Sir,

With reference to your invitation to tender for the above I/we hereby offer to the PVVNL the items in the schedule annexed of such portion thereof, as you may determine in strict accordance with the annexed conditions of contract form 'B' specification and schedule of rates to the satisfaction of the purchaser or in default thereof the forfeit to pay to PVVNL the sum of money mentioned in the said conditions.

The rates quoted are inclusive rates and in full satisfaction of all claims.

I/we hereby agree to abide by this tender for the period of four months from the date, fixed for opening of the same.

As sum of Rs. …………………………… only as earnest money have been deposited with the Superintending Engineer, Electy. Distribution Circle-II Saharanpur, vide Receipt No………….. ……………..dt. ……………………….the full value of which shall be retained by the PVVNL against the security deposited in Clause (3) of the said conditions of contract.

I/we hereby undertake and agree to execute a contract in the form annexued herein accordance with the conditions of contract.

Yours faithfully,

Signature & seal of Tenderer

Date. ……………………………….....

Important Instructions to Tenderers

Your tender shall not be considered if you fail to submit the Performa duly filled up. Replies should be completed without almightily and covering letters etc. shall not be acceptable. You may however, attach extra sheets if the space provided is not sufficient.

Sl. No. Particulars.

1- Specification against which you have tendered.

2- Receipt No. and date by which cost of tender specification was deposited by you.

3- Name and address of manufacturer / Contractors.

4- Location of manufacturer's factory.

5- Year since which the manufacturer has started production of item tendered.

6- Quantity offered (if there are two or more items, state quantities separately with units.)

7- Amount of form in which earnest money deposited with SUPERINTENDING ENGINEER, ELECTRICITY. DISTRIBUTION CIRCLE-II Saharanpur . Please give reference in this connection (cheque will not be Accepted).

8- Do you agree to all the conditions of the Tender specification of the tender and If not state the modifications clearly Which you would desire in the General Conditions of contract form'A'(itmay please Be noted that it shall be entirely at the descretion of the purchasor/Board to accept or reject the modificationproposal).

9- Please state clearly (Answer Yes/No)if you would Accept The order if modification in the form 'A' (Sl.No.9) are not acceptable to the Board without imposing any further conditions.

10- Give two references who can certify You financial status and capability to Undertake such construction.

SIGNATURE OF THE E-TENDERERS

11- Statement of past/current construction work of similar nature carried out(attach certificate for performance).

Name and Address of	Order contract of work no. date	Particulars Qty.	Remarks
1.	2.	3.	4

12- What is the delivery period under penalty?

13- What is the validity period of your tender?

14- Quoted price per (State) Separated for each item, state For Meerut Store Clearly)

15- Is the quoted price for items firms and firm in all respects?

16- Is the quoted price exclusive of GST?

17- If the quoted price is inclusive of GST included at what rate?

18. If the quoted price exclusive of GST on finished product (where applicable)?

19. If the quoted price is inclusive of escise duty on finished product and what rate?

20 Have you read the instructions and special instructions to tenderors and agree to the same?

1- Name and details address of authorized representative to present you against this tender.

I. Name & details address of Proprietor/Partner/Director.

II. If the tendering firm are not Manufacturer themselves full Name and address of Manufacturer's /Proprietor/ Partners/Directors to be given.

22. (a) GST registeration No.

1- Central.

1- State.

(b) Please enclose a certified copy of the latest Income Tax Clearance Certificate.

SIGNATURE OF THE TENDERERS

अल्पकालीन ई–निविदा संख्या–184/कार्य/2023–24

"Eligibility criteria for bidders"

1. निविदा प्रपत्र शुल्क रूपया 1180.00 (अदेय) तथा धरोहर धनराशि रू0 1570/– **shall be submitted "Superintending Engineer, Electricity Distribution Circle-II, Saharanpur"** के नाम **Central Bank of India, Corut road, Saharanpur** के बैंक खाता संख्या–**3668938333, IFSC Code – CBIN0281443** में आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से अलग–अलग जमा कर साक्ष्य के रूप में यू0टी0आर0 संख्या, पे–इन–स्लिप की प्रति (इश्यूइंग बैंक के कन्फरमेशन मेल की प्रति) ई–टेण्डर के प्रपत्रों के साथ आन–लाईन अपलोड करना होगा। उक्त जमा धनराशि की बैंक खाते से पुष्टि कर निविदा के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही किया जायेगा।
2. प्रपत्र भाग दो में सिर्फ निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न BOQ/Price Bid में दर अपलोड करना होगी।
3. निविदादाता द्वारा रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर (180 दिन से अधिक की अवधि का न हो) इस आशय का शपथ पत्र ई–निविदा के प्रथम भाग में संलग्न करना अनिवार्य होगा कि उसकी फर्म को उ0प्र0पा0का0लि0 के अन्तर्गत किसी भी डिस्कॉम/अन्य सरकारी/अर्द्ध सरकारी/पब्लिक सेक्टर यूनिट/स्थानीय निकाय आदि द्वारा Blacklisted/debarred नहीं किया गया है।
4. पैन कार्ड की छायाप्रति निविदा के प्रथम भाग में संलग्न करना आवश्यक हैं।
5. आधार कार्ड की छायाप्रति निविदा के प्रथम भाग में संलग्न करना आवश्यक हैं।
6. जी0एस0टी0 पंजीकरण की छायाप्रति निविदा के प्रथम भाग में संलग्न करना आवश्यक हैं।
7. निविदा प्रपत्रों के साथ उपलब्ध **Declaration (Annexure-C)** निविदाकार द्वारा संलग्न किया जाना आवश्यक होगा **(Must be executed on a non-judicial stamp paper)**
8. वाहन के वैध पंजीकरण का प्रमाण पत्र एवं इंश्योरेंस की प्रति निविदा के समय अपलोड करना अनिवार्य होगा।
9. निविदादाता के वाहन स्वामी न होने की दशा में वाहन स्वामी एवं निविदादाता के माध्यम से निष्पादित मुख्तारनामा आम की छायाप्रति अनुबन्ध से पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. फर्म द्वारा जो वाहन उपलब्ध कराया जायेगा उसका मॉडल 01 अप्रैल, 2021 से पूर्व का न हो तथा वाहन शोरूम कण्डीशन का होना चाहिए एवं उच्च मॉडल को प्राथमिकता दी जायेगी।
11. अधोहस्ताक्षरकर्ता को बिना किसी कारण बताये किसी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

अन्य नियम व शर्ते :–

1. केवल उन्ही फर्म/ठेकेदारों की निविदायें खोली जायेंगी जिसके द्वारा उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्र भाग–प्रथम में संलग्न किये जायेंगे, अन्यथा उनका भाग द्वितीय नहीं खोला जायेगा।
2. फर्म/ठेकेदार के बीजकों पर स्त्रोत पर आयकर कार्यदायी संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।
3. वाहन देते समय फर्म को वाहन के पूर्ण कागजातों की मूल प्रति उपलब्ध करानी होगी। वाहन को मोटर व्हीकल एक्ट की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करना होगा।
4. दुर्घटना की दशा में सम्बन्धित वाहन चालक को क्षतिपूर्ति, फर्म/ठेकेदार द्वारा वहन की जायेगी।
5. निविदादाता कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत अपने कर्मी को बीमा करायेगा। उसके द्वारा रखा गया चालक उसका ही कर्मचारी होगा।
6. संविदाकार, निविदाकर्मी की किसी भी प्रकार की दुर्घटना के समय कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अन्तर्गत विभाग द्वारा लागू प्राविधानों के अंतर्गत पीडित पक्षकार के परिजनों को भुगतान करना सुनिश्चित करेगा।
7. केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार वाहन (फास्टैग सुविधा सहित) उपलब्ध कराना होगा।
8. यदि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता विभाग के संज्ञान में आती है तो तत्काल अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा। अनुबंध शून्य होने अथवा अनियमितता के फलस्वरूप समस्त धनराशि का दायित्व संविदाकार का होगा तथा विभाग एवं तदनुरूप लागू प्राविधानों के अन्तर्गत यदि किसी भी प्रकार की धनराशि शास्ति के रूप में उस पर अवधारित की जाती है तो उसके जमा के लिए भी उत्तरदायी होगा।
9. वाहन की सीटों पर सफेद रंग के तोलिये लगे होने चाहिए तथा नियमित अन्तराल पर सीटों पर लगे तौलियों की धुलाई सफाई करना तथा वाहन की अन्दर व बाहर से नियमित रूप से धुलाई व सफाई फर्म द्वारा अनिवार्य रूप से करायी जायेगी, अन्यथा की स्थिति में फर्म पर प्रतिदिन रू0 100.00 की दर से पैनल्टी लगाई जायेगी।
10. निरस्त की गयी निविदा की ई0एम0डी0 धनराशि अथवा टेन्डर फीस धनराशि किसी अन्य निविदा में समायोजित नहीं की जायेगी।

11. उपरोक्त टेण्डर रनिंग कान्ट्रेक्ट 12 माह की अवधि का होगा। जिसको आपसी सहमति/Performance के आधार पर आवश्यकतानुसार बढाया जा सकता है।
12. फर्म को जी0एस0टी0 नियमानुसार देय होगा तथा इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई कर देय नहीं होगा।
13. फर्म द्वारा जमा किये गये प्रपत्रों में कोई प्रपत्र मिथ्या (False) पाया जाता है तो फर्म द्वारा जमा की गई ई0एम0डी0 धनराशि को जब्त कर फर्म के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही (काली सूची में डालना आदि) की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व फर्म का होगा।
14. विभाग द्वारा विलम्ब से भुगतान प्राप्ति अथवा समय से अवमुक्त न होने की दशा में फर्म को कम से कम 3 माह तक अपने स्तर से वाहन का रख–रखाव एवं अपने कर्मियों को भुगतान करना होगा।
15. कार्य में सम्मिलित कर्मचारी भविष्य में सेवायोजन सम्बन्धी किसी भी प्रकार का वाद प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ/उ0प्र0 पॉवर कारपोरेशन लि0 के विरूद्ध दायर नहीं करेगा, न ही वह मान्य होगा।
16. ड्राईवर की उपलब्धता 24 घण्टे रहेगी तथा ड्राईवर के अनुपस्थित होने की स्थिति में फर्म का दायित्व होगा कि दूसरे ड्राईवर को 02 घण्टे के अन्दर उपलब्ध करायेगी अन्यथा की स्थिति में फर्म पर रू0 200.00 प्रति घण्टे की दर से पेनल्टी (जिस अवधि में ड्राईवर उपलब्ध नहीं होगा) फर्म के बीजक से काटी जायेगी तथा उस दिन के वाहन के किराये का भुगतान भी नहीं किया जायेगा।
17. फर्म द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन का डीजल ईधन उपभोग पर होने वाला व्यय निर्माण माप दण्डों के अनुसार निगम द्वारा वहन किया जायेगा जो किसी भी दशा में 12 किमी. प्रति लीटर से कम नहीं होना चाहिए एवं अन्य देय जैसे मोबिल ऑयल, ब्रेक ऑयल, गाड़ी की सर्विस और ड्राईवर की नाइट शिफ्ट का भुगतान अलग से देय नहीं होगा।
18. उपरोक्त टेण्डर रनिंग कान्ट्रेक्ट होगा तथा विभाग द्वारा फर्म को एल0ओ0आई0 निर्गत करने के 07 दिन के अन्दर वाहन (चालक सहित) उपलब्ध कराना होगा।
19. भुगतान – वाहन किराये पर भुगतान ठेकेदार द्वारा लॉग बुक सत्यापन के अनुसार प्रतिमाह दो प्रतियों में रनिंग बिल बनाकर सम्बन्धित कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरान्त पारित बिल के आधार पर उक्त कार्यालय के द्वारा फण्ड की उपलब्धता के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
20. वाहन चालक का लाईसेंस वाणिज्यिक श्रेणी में नवीनकृत/पंजीकृत होना चाहिए।
21. विभाग द्वारा दैनिक उपभोग हेतु डीजल के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री फर्म/वाहन चालक को उपलब्ध नहीं कराई जायेगी।
22. फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये ड्राईवर का व्यवहार कुशल/अनुभवी/स्वस्थ होना आवश्यक है।
23. यदि किसी ड्राईवर के व्यवहार/कार्यशैली सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होती है, तो फर्म को सूचित करने के (फोन/व्हाट्सएप/मेल द्वारा) 24 घण्टे के अन्दर अन्य व्यवहार कुशल/अनुभवी/स्वस्थ ड्राईवर उपलब्ध कराना होगा अन्यथा की स्थिति में क्र0सं0 16 में वर्णित दर से पैनल्टी लगाई जायेगी। जिसकी धनराशि फर्म के बीजकों से समायोजित की जायेगी।
24. फर्म के चालक को गाडी की लॉग बुक का रख–रखाव करना होगा तथा प्रतिदिन गाडी चलने की कि0मी0 रीडिंग से सत्यापित कराकर विभाग के अधिकारी से हस्ताक्षरित करना होगा।
25. फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन चालक के पास फर्म द्वारा निर्गत वैध आई0डी0 होनी अनिवार्य होगी।
26. वाहन खराब होने की स्थिति में फर्म का दायित्व होगा कि दूसरा वाहन 02 घण्टे के अन्दर उपलब्ध करायेगी अन्यथा की स्थिति में फर्म पर रू0 200.00 प्रति घण्टे की दर से (जिस अवधि में वाहन उपलब्ध नहीं रहा है) फर्म के बीजक से काटी जायेगी तथा उस दिन के किराये का भुगतान भी नहीं किया जायेगा।
27. वाहन के रखरखाव की पूर्ण जिम्मेदारी फर्म के मालिक की होगी। किसी दुर्घटना होने की दशा में जान–माल की हानि/मुआवजा व चालन तथा निगम की सम्पत्ति की हानि का पूर्ण उत्तर दायित्व वाहन स्वामी का होगा। यदि वाहन दुर्घटना या अन्य किसी कारण से क्षतिग्रस्त होता है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व पूर्णरूपेण वाहन मालिक का होगा। वाहन की स्वीकृति अथवा निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
28. विवाद की स्थिति में न्यायालय का क्षेत्र सहारनपुर होगा।
29. अनुबन्ध के समय फर्म को रू0 100.00 का नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर स्वयं अपने खर्चे पर उपलब्ध कराना होगा, जिस पर अनुबन्ध किया जायेगा जिसके साथ निविदा की कुल धनराशि का 10 प्रतिशत सिक्योरिटी की एफ0डी0आर/बैंक गारण्टी 18 माह की अवधि के रूप में, जो अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल–द्वितीय, सहारनपुर के पक्ष में देय हों, प्रस्तुत करनी होगी।

अधीक्षण अभियन्ता